

आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए)

कैबिनेट ने आईटीडीसी की संपत्तियों के विनिवेश की प्रक्रिया की शुरुआत को मंजूरी दी

Posted On: 03 MAY 2017 9:31PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड(आईटीडीसी) के होटल और संपत्तियों में विनिवेश की प्रक्रिया की शुरुआत करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। व्यावसायिक रास्ते पर चलते हुए होटल का प्रबंधन सरकार या उसकी संस्थाओं का काम नहीं है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए विनिवेश का फैसला किया गया है। इसके अलावा, पिछले वर्षों में देश में आतिथ्य क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। विश्वस्तरीय होटल और उसमें मौजूद सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय श्रृंखलाएं और उच्चतम मानकों की सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की जाती रही हैं।

विनिवेश नीति के हिस्से के रूप में, उचित मूल्य निर्धारण के बाद संबंधित राज्यों के साथ संयुक्त रूप से होटल / सम्पत्ति पट्टा / उप-पट्टा देने या राज्यों को संपत्ति वापस करने का निर्णय लिया गया है। राज्यों के पास निजी क्षेत्र को शामिल करके या उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संपत्तियों का उपयोग करने के लिए होटल को अपग्रेड करने और संचालित करने का विकल्प होगा। राज्य अपने विकल्पों के अनुसार फैसला करेंगे, जो व्यापक सिद्धांतों के अनुकूल हो और इस दौरान यह भी ध्यान रखा जाएगा कि होटल चलाना सरकार का काम नहीं है।

प्रक्रिया के पहले चरण में विनिवेश के लिए नीचे सूचीबद्ध तीन होटलों को लिया गया है:

- 1. होटल लेक व्यू अशोक, भोपाल
- 2. होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी
- 3. होटल भरतपुर अशोक, भरतपुर

इन सभी तीन मामलों में होटल / संपत्ति संबंधित राज्यों को वापस दी जा रही है। भोपाल और गुवाहाटी के मामले में आईटीडीसी होटल के संचालन के लिए बनाई गई संयुक्त उद्यम कंपनी को 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी बेच रही है जबकि भरतपुर के मामले में जिस इकाई को केवल आईटीडीसी देख रही थी उसे राज्य सरकार को वापस किया जा रहा है।

AKT/VBA/SH/VS

(Release ID: 1489296) Visitor Counter: 11









in